न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर , आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए / 165 / 2013

उनवान

1. श्री बाबूलाल पिता मोहन लाल मुतबन्ना छगन लाल भोजक निवासी कलेक्ट्री के पास, कांकरोली तहसील कांकरोली जिला राजसमन्द

अपीलाण्ट

बनाम

1. श्रीमती तेजकंवर पत्नि विजय कुमार शर्मा निवासी कांकरोली तहसील कांकरोली जिला राजसमन्द
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार माण्डल जिला भीलवाडा
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार करेड़ा जिला भीलवाड़ा

रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, माण्डल के प्रकरण
संख्या 115 / 2012 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.07.2013
अधिवक्तागण :—

1. श्री योगेश चौधरी , अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री फारूक मोहम्मद मंसूरी अधिवक्ता प्रत्यर्थी स0 1
3. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 10.10.2019

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी / वादीया ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 54, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम चिताम्बा तहसील माण्डल के बेरून हल्के आबादी में राजस्व खाता संख्या 258 में अन्य आराजीयात के साथ आराजी नम्बर 1271 रकबा 0.14 बिस्वा, आ0न0 1273 रकबा 0.07 बिस्वा, आ0न0 1275

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

रकबा 0.09 बिस्वा, आ0न0 1276 रकबा 0.14 बिस्वा, आ0न0 1735 रकबा 0.07 बिस्वा, आ0न0 1736 रकबा 0.04 बिस्वा, आ0न0 1740रकबा 0.08 बिस्वा, आ0न0 1741 रकबा 0.08 बिस्वा, आ0न0 1744 रकबा 0.14 बिस्वा, आ0न0 2590 रकबा 1.08 बीघा , आ0न0 2591 रकबा 1.15 बीघा, आ0न0 2592 रकबा 0.06 बिस्वा, आ0न0 2596 रकबा 0.09 बिस्वा, आ0न0 2597 रकबा 1.17 बीघा, आ0न0 2598 रकबा 0.05 बिस्वा, आ0न0 2609 रकबा 1.14 बीघा कुल किता 16 कुल रकबा 11.19 बीघा भूमि में वादीया का 1/2 व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हक हिस्सा निहित है। इसी अनुसार वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 शामलाती रूप से अपने–अपने हक हिस्से पर काबिज होकर काश्त कर उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं।

2. उक्त आराजियात का वादीया एवं प्रतिवादी सं0 1 के मध्य मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन नही होने से वादीया एवं प्रतिवादी सं0 1 के मध्य अपने अपने हक हिस्से की भूमि को उपजाउ करने में, घास आदि लेने में तथा लगान आदि जमा कराने में विवाद बना रहता है, जिस पर वादी नेकई मर्तबा प्रतिवादी सं0 1 से सम्पर्क कर अपने अपने हक हिस्से की आराजीयात का मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन करा अलग से अपने अपने नाम पर खाता दर्ज करवाने हेतु निवेदन किया परन्तु प्रतिवादी संख्या 01 हर बाद टालमटोल करते आ रहे, जिस पर वादी ने अंतिम बार दिनांक 02.04.2012 को प्रतिवादीगण को सहमति से विभाजन करने को कहा किन्तु वे इन्कार हो गये। वही वजह वादीया को उक्त वादपत्र बाबत विभाजन आराजीयात प्रस्तुत करने की नौबत आयी है।

3. अतः बहक वादीया विरूद्ध प्रतिवादी सं0 1 इस आशय की विभाजन की डिक्री सादिर फरमाई जावे कि

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

वादपत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित आराजीयात का वादपत्र की चरण संख्या 02 में वर्णित हक हिस्से अनुसार वादीया एवं प्रतिवादी सं0 1 के मध्य मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन किया जाकर वादीया का 1/2 हक हिस्सा राजस्व अभिलेख में अलग से अंकन किया जाकर लगान अलग से तय कराया जावे व कब्जा डिक्री से बटवाड़े में प्राप्त आराजीयात का दिलाया जावे।

4. अधिनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री द्वारा वादीया का वाद पत्र स्वीकार किया । जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

5. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

6. अपीलार्थी/प्रतिवादी सं0 1 के योग्य अधिवक्ता ने निवेदन कि कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व प्राथमिक डिक्री विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी को सुनवायी का कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। वादीया के द्वारा धारा 53, 54 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वाद प्रस्तुत कर बटवाड़े का अनुतोष चाहा है उसके लिए सक्षम न्यायालय श्रीमान सहायक कलेक्टर महोदय के यहां विधिवत प्रस्तुत करना चाहिये था जो नहीं किया फिर भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय व डिक्री पारित करने में भारी भूल की है।

7. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 19.07.2013 को अपीलाण्ट द्वारा अधिकार पत्र पेश किया व प्रकरण में जवाब

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

हेतु केवल मात्र 04 दिन की तारीख पेशी दिनांक 24.07.2013 की दी, जिस दिन अपीलाण्ट ने एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 का पेश कियाजिसका निस्तारण उसी दिन प्रार्थना पत्र का वादी / प्रत्यर्थी सं0 1 के द्वारा कोई जवाब दिये प्रार्थना पत्र खारिज कर अपीलान्ट को बिना जवाब का अवसर दिये वादपत्र को स्वीकार कर निर्णय पारित कर दिया जो विधि विरूद्ध होने से अपास्त योग्य है। अपीलाण्ट को पूर्ण सुनवाई का अवसर दिए व बिना किसी प्रकार के विवाद्यक तय किये व बिना किसी साक्ष्य लिये वाद पत्र में निर्णय व डिक्री पारित की है जो विधि विरूद्ध होने से अपास्त होने योग्य है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 115 / 2012 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24.07.2013 को खारिज फरमाया जावे।

8. प्रत्यर्थी सं0 1 / वादीया के अधिवक्ता के द्वारा निवेदन किया कि उपखण्ड अधिकारी व सहायक कलेक्टर दोनों की शक्तियां एक ही पीठासीन अधिकारी में निहित होने से वादीया के द्वारा बटवाड़े का जो वाद प्रस्तुत किया है जिसे सुनवाई कर विधिसम्मत निर्णय पारित किया है जो उचित होने से अपीलान्ट की अपील खारिज फरमाई जावे।

9. हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी तथा पत्रावली में संलग्न राजस्व दस्तावेजों का अध्ययन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न ग्राम चिताम्बा तहसील माण्डल की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2065 से 2068 में आराजीयात नम्बर 1068–1069–1074–1075–1076–1077–1078–1079–1080–1081–1082–1083–1087–1088–1089–1090–1100–1101–1102–1103–1104–1130–1201–1271–1273–1275–1276–1735–1736–1740–1741–1744–2590–2591–2592–2596–2597–2598–2609–कुल कीता 39 कुल रकबा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

31 बीघा 01 बिस्वा भूमि श्री बाबूलाल पिता मोहनलाल भोजक सा0देह खातेदार दर्ज होकर बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा चिताम्बा के रहन दर्ज थी। उपरोक्त आराजीयात जरिये डिक्री नामान्तरकरण संख्या 1114 दिनांक 19.03.2009 से श्री बाबूलाल पिता मोहनलाल मुत0 छगनलाल भोजक व मु0 मोहिनी बाई बेवा छगनलाल भोजक सा0देह खातेदार दर्ज हुई। उपरोक्त आराजीयात में से आ0नं0 1068–1069–1074 से 1083, 1087 से 1090, 1100 से 1104, 1130 व 1201 कुल कीता 23 कुल रकबा 19 बीघा 02 बिस्वा भूमि में 1/2 हिस्सा जरिये बिकाव से बाबूलाल पिता मुत0 छगनलाल के बजाय जगुराम पिता गणेश 1/2 दरोगा दर्ज हुई। बिकाव से जरिये ई0नं0 1223 दिनांक 05.07.2011 से सम्पूर्ण खाते में दर्ज आराजीयात कीता 39 रकबा 31 बीघा 01 बिस्वा में से मु0 मोहिनीबाई बेवा छगनलाल के बजाय 1/2 हिस्सा श्रीमती तेजकंवर पत्नि विजय कुमार 1/2 शर्मा निवासी व तहसील कांकरोली खातेदार दर्ज हुई। जरिये बिकाव से ई0नं0 1224 दिनांक 09.08.2011 से आ0नं0 1068–1069–1074 से 1083, 1087 से 1090, 1100 से 1104, 1130 व 1201 कुल कीता 23 कुल रकबा 19 बीघा 02 बिस्वा में दर्ज 1/2 हिस्सा श्रीमती तेजकंवर पत्नि विजयकुमार शर्मा के बजाय श्री किशन सिंह पिता कालूसिंह(माशिया चारण) निवासी नेगटियाकला तहसील व जिला राजसमन्द के नाम दर्ज हुई। जरिये बिकाव से ई0नं0 1234 दिनांक 05.10.2011 से आ0नं0 1068–1069–1074 से 1083, 1087 से 1090, 1100 से 1104, 1130 व 1201 कुल कीता 23 कुल रकबा 19 बीघा 02 बिस्वा में दर्ज 1/2 हिस्सा श्री किशन सिंह पिता कालूसिंह(माशिया चारण) निवासी नेगटियाकला तहसील व जिला राजसमन्द के बजाय श्री सुवालाल पिता मूला 1/2 सुथार सा0देह खातेदार दर्ज हुई। इस प्रकार वादोक्त

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

प्रकरण में अंकित आराजीयात कुल कीता 39 रकबा 31 बीघा 01 बिस्वा में से आ0नं0 1068–1069–1074 से 1083, 1087 से 1090, 1100 से 1104, 1130 व 1201 कुल कीता 23 कुल रकबा 19 बीघा 02 बिस्वा में दर्ज 1/2 हिस्सा श्री सुवालाल पिता मूला सुथार एवं 1/2 हिस्सा जगूराम पिता गणेश दरोगा एवं आ0नं0 1271 –1273– 1275–1276 – 1735–1736–1740–1741–1744–2590–2591 – 2592 – 2596 –2597–2598–2609 कीता 16 रकबा 11 बीघा 19 बिस्वा में 1/2 हिस्सा श्री बाबूलाल पिता मोहनलाल मुत0 छगनलाल भोजक व 1/2 हिस्सा श्रीमती तेजकंवर पत्नि विजय कुमार शर्मा की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है परन्तु वादीया के द्वारा मात्र उक्त आराजीयात कीता 16 रकबा 11 बीघा 19 बिस्वा के लिए ही बटवाड़े का दावा प्रस्तुत किया जबकि नकल जमाबन्दी सम्वत् 2065 से 2068 ग्राम चिताम्बा में आराजीयात कीता 39 रकबा 31 बीघा 01 बिस्वा श्री बाबूलाल पिता मोहनलाल मुत0 छगनलाल भोजक, श्रीमती तेजकंवर पत्नि विजय कुमार शर्मा, श्री सुवालाल पिता मूला सुथार व श्री जगुराम पिता गणेश दरोगा के नाम पर संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। इस प्रकार समस्त संयुक्त खातेदारों का एवं संयुक्त खातेदारी में अंकित समस्त आराजीयात के बटवाड़े का वाद प्रस्तुत नहीं किया जो विधिसम्मत नहीं है साथ ही अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा जो प्राथमिक निर्णय दिनांक 24.07.2013 को पारित किया है उसमें पक्षकारान के हक हिस्से का स्पष्ट अंकन भी नहीं किया है जिससे भी अधिनस्थ न्यायालय का आदेश त्रुटीपूर्ण है।

10. उपरोक्त विवेचन अनुसार वादीया/प्रत्यर्थी सं0 1 के द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत बटवाड़े के वाद में संयुक्त खातेदारी में दर्ज आराजीयात कीता 39 रकबा 31 बीघा 01 बिस्वा का बटवाड़े का वाद प्रस्तुत नहीं किया है तथा उक्त आराजीयात जिन सह खातेदारों के नाम पर

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

संयुक्त खातेदारी में दर्ज है उन सभी को पक्षकार नहीं बनाया गया है तथा अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा भी अपने निर्णय में सहखातेदारों के हक हिस्से का स्पष्ट उल्लेख अपने प्राथमिक निर्णय में अंकित नहीं किया है जिससे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.07.2013 त्रुटीपूर्ण होकर निरस्त योग्य है।

11. अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का प्राथमिक निर्णय दिनांक 24.07.2013 को खारिज किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि खाते में अंकित समस्त आराजीयात को बटवाड़े के वाद में समायोजित की जावे तथा सभी सहखातेदारों को पक्षकार बनाया जावे व प्रत्येक सहखातेदार के हिस्से का अपने निर्णय में स्पष्ट उल्लेख करते हुए पुनः प्राथमिक निर्णय पारित करें।

12. निर्णय आज दिनांक 10.10.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

10/10/19

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा